हरियाणा सरकार

वास्तुकला विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 अक्तूबर, 1990

सं० सा० का० नि० 72/संवि०/अनु० 309/90.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा हरियाणा वास्तुकला तकनीकी (ग्रुप–ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग–I—सामान्य

1. ये नियम हरियाणा वास्तुकला तकनीकी (ग्रुप–ग) सेवा नियम, 1990, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम।

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :— परिभाषाएं।

(क) "बोर्ड" से अभिप्राय है, अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण बोर्ड ;

(ख) "मुख्य वास्तुक" से अभिप्राय है, वास्तुकला विभाग, हरियाणा का मुख्य वास्तुक ;

(ग) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदाधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हों ;

(घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;

(ङ) "संस्था" से अभिप्राय है :—

(I) हरियाणा राज्य में लागू स्वीय विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; अथवा

(II) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था ;

(च) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है :—

(I) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय ;

(II) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणाम स्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि–पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण-पत्र की दशा में पंजाब, सिन्ध या ढाका विश्वविद्यालय ; या

(III) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ;

(छ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा वास्तुकला तकनीकी (वर्ग–ग) सेवा ;

भाग–II—सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा स्वरूप ।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट "क" में बताए हुए पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए पद स्थाई तथा अस्थाई रूप से बनाने के सरकार के अंतर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

सेवा में भर्ती किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र ।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो :—

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो जनवरी, 1962 के प्रथम दिन से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो ; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका तथा कीनिया, यूगांडा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) जांबिया, मलावी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो ;

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) से सम्बन्धित ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, बोर्ड या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है ।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह उस अंतिम उपस्थिति के विश्व-विद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, या संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली-भांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महा-विद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करें ।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जो बोर्ड को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से ठीक पहले अगस्त के प्रथम दिन को या उससे पहले सत्रह वर्ष की आयु से कम का या तीस वर्ष की आयु से अधिक का हो। आयु।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां मुख्य वास्तुक द्वारा की जायेंगी। नियुक्ति प्राधिकारी

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट 'ख' के खाना–3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में उपयुक्त परिशिष्ट के खाना–4 में विनिदिष्ट अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो ; अर्हताएं।

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बंधी अर्हताओं में बोर्ड या अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर पचास प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों में अपेक्षित अनुभव रखने वाली उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये उपलब्ध न हो। ऐसा करने के लिये लिखित रूप में कारण दिये जायेंगे।

8. कोई भी व्यक्ति :— निरर्हताएं।

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली हो ; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार को संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के लिये अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

9(1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी। भर्ती का ढंग।

(क) वास्तुक सहायक की दशा में :— परिवीक्षा।

(i) वरिष्ठ नक्शानवीसों में से पदोन्नति द्वारा पचास प्रतिशत ; और

(ii) सीधी भर्ती द्वारा पचास प्रतिशत ; या

(iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ख) वरिष्ठ नक्शानवीसों की दशा में :—

(i) कनिष्ठ नक्शानवीसों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ग) वरिष्ठ नक्शानवीस (इंटीरियर डेकोरेटर) की दशा में :—

(i) सीधी भर्ती द्वारा सौ प्रतिशत ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण द्वारा ।

(घ) वरिष्ठ नक्शानवीस (प्रतिमाकार) (माडलर) की दशा में :—

(i) सीधी भर्ती द्वारा सौ प्रतिशत ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ङ) कनिष्ठ नक्शानवीस की दशा में :—

(i) सहायक नक्शानवीसों में से पदोन्नति द्वारा सड़सठ प्रतिशत ; और

(ii) सीधी भर्ती द्वारा तैंतीस प्रतिशत ; या

(iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(च) सहायक नक्शानवीसों की दशा में :—

(i) अनुरेखकों में से पदोन्नति द्वारा 33 प्रतिशत ; और

(ii) सीधी भर्ती द्वारा 67 प्रतिशत ; या

(iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(छ) अनुरेखक की दशा में :—

(i) सीधी भर्ती द्वारा शत प्रतिशत ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ज) फेरी मुद्रक की दशा में:—

(i) फेरी खलासियों में से पदोन्नति द्वारा 100 प्रतिशत ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(iii) सभी पदोन्नतियां, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेंगी और अकेली ज्येष्ठता ऐसी पदोन्नतियों के लिये कोई अधिकार नहीं देगी।

10. (i) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगा :— परिवीक्षा।

परन्तु

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी,

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किय गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है, और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि, परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी किन्तु कोई व्यक्ति जिसने स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि पूरी होने पर यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो वह—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो;—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या

(ii) उसके सम्बंध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन और शर्तें अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी :—

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य तथा आचरण संतोषजनक रहा हो तो :—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे सेवा से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा किया गया हो तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवात कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ;

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिस में बढ़ाई गई अवधि भी यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

11. ज्येष्ठता सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां प्रत्येक संवर्ग के लिये ज्येष्ठता अलग-अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय बोर्ड द्वारा निश्चित योग्यता क्रम को परिवर्तित नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनमें वे पदोन्नत या स्थानांरित किये गये; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी। अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार, और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिये आदेश दिये जाने पर ऐसा करने के लिये दायी होगा। सेवा करने का दायित्व।

(2) सेवा में किसी सदस्य को सेवा के लिये निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है :—

(i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण अथवा अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, या हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण अथवा विश्वविद्यालय ;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो ; या

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर-सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) तथा खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय की सेवा के अधीन प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

13. वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गए हों अथवा इसके बाद अपनायें या बनायें जायें। वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा अन्य मामले।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें ।

14. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से सम्बंधित मामलों में सेवा के सदस्य समय समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शक्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के अधीन रहते हुये वे होंगें जो इन नियमों के परिशिष्ट "ग" में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम 9 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) तथा खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वही होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट 'घ' में विनिर्दिष्ट हैं ।

टीका लगवाना ।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, टीका लगवाएगा तथा पुनः टीका लगवाएगा ।

राजनिष्ठा की शपथ ।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य को, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी ।

ढील देने की शक्ति ।

17. जहां सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबंध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिख कर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकता है ।

विशेष उपबंध

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबंधन तथा शर्तें लगाना उचित समझे तो ऐसा कर सकता हैं ।

आरक्षण ।

19. इन नियमों में दी गई कोई बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विकलांग व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार किये गये आरक्षणों की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी

निरसन तथा व्यावृत्ति ।

20. सेवा पर लागू कोई नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप में कोई नियम जो इन नियमों के आरम्भ से परन्तु पहले लागू हो, इसके द्वारा निरसित किया जाता है :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाही इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया अथवा की गई समझी जायेगी ।

परिशिष्ट "क"

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या स्थायी	अस्थायी	जोड़	वेतनमान
1	2	3	4	5	6
1	वास्तुक सहायक	15	..	15	1640–60–2600–द०रो०–75–2900 रुपए जमा 100रु० विशेष वेतन
2	वरिष्ठ नक्शा नवीस	12	..	12	1640–60–2600–द०रो०–75–2900 रुपए
3	वरिष्ठ नक्शानवीस इंटीरियर डेकोरेटर	..	1	1	1640–60–2600–द०रो०–75–2900 रुपए
4	वरिष्ठ नक्शानवीस प्रतिमाकार	2	..	2	1600–50–2300–द०रो०–60–2660 रुपए
5.	कनिष्ठ नक्शानवीस	23	..	23	1600–50–2300–द०रो०–60–2660 रुपए
6	सहायक नक्शा नवीस	11	..	11	1400–40–1800–द०रो०–50–2300 रुपए
7	अनुरेखक	11	..	11	975–25–1150–द०रो०–30–1540 रुपए
8	फैरो मुद्रक	2	..	2	950–20–1150–द०रो०–25–1500 रुपए

परिशिष्ट "ख"

(देखिये नियम 7)

क्रम संख्या	पद-नाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो ।	सीधी भर्ती अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1	वास्तुक सहायक	अर्हता प्राप्त करने के बाद आठ वर्ष के अनुभव सहित वास्तुकला सहायकी में उपाधि-पत्र (डिप्लोमा)	वरिष्ठ नक्शानवीस के रूप में चार वर्ष का अनुभव
2	वरिष्ठ नक्शानवीस	अर्हता प्राप्त करने के बाद पांच वर्ष के अनुभव, सहित वास्तुकला सहायकी में उपाधि-पत्र (डिप्लोमा)	कनिष्ठ नक्शानवीस के रूप में चार वर्ष का अनुभव
3	वरिष्ठ नक्शानवीस (इंटीरियर डैकोरेटर)	अर्हता प्राप्त करने के बाद तीन वर्ष के अनुभव सहित इंटीरियर डैकोरेशन में उपाधि-पत्र (डिप्लोमा)	तीन वर्ष के अनुभव सहित इंटीरियर डैकोरेशन में उपाधि-पत्र (डिप्लोमा)
4	वरिष्ठ नक्शानवीस (प्रतिमाकार) (माडलर)	1. लकड़ी, प्लास्टर, प्लास्टिक में माडल तैयार करने के पांच वर्ष के अनुभव सहित मैट्रिक पास 2. वास्तुक रेखाचित्र को पढ़ने तथा उन्हें लकड़ी, कार्ड बोर्ड तथा प्लास्टिक तथा अन्य सामग्री में माडलों में रूपांतरित करने के योग्य होना चाहिये	1. मैट्रिक या उसके समकक्ष । 2. प्रतिमाकार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ।

1	2	3	4
5	कनिष्ठ नक्शानवीस	अर्हता प्राप्त करने के बाद दो वर्ष के अनुभव सहित वास्तुकला सहायकी में उप द्वि-पत्र (डिप्लोमा)	सहायक नक्शानवीस के रूप में तीन वर्ष का अनुभव
6	सहायक नक्शानवीस	वास्तुकला सहायकी में उपाधि-पत्र (डिप्लोमा)	अनुरेखक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव
7	अनुरेखक	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से ड्राइंग विषय सहित मैट्रिक या उसके समकक्ष अधिमान्यता, अनुरेखा कार्य में अनुभव या वास्तुकला सहायकी में उपाधि-पत्र (डिप्लोमा) ।	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से ड्राइंग विषय सहित मैट्रिक या उसके समकक्ष
8	फैरोमुद्रक	—	1. फैरोबत्तासी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव 2. मुद्रण मशीन चलाने के चार वर्ष के अनुभव सहित मैट्रिक पास ।

टिप्पणी 1.—सीधी भर्ती की दशा में जहां कहीं वर्णित हो, अनुभव अर्हता प्राप्त वास्तुक के अधीन होना चाहिये ।

2. सीधी भर्ती की दशा में विभागीय कर्मचारी जिनके पास डिप्लोमा इन सिविल में उपाधि-पत्र के साथ खाना-4 में दर्शाया गया अनुभव हो, योग्य होंगे ।

परिशिष्ट "ग"

[देखिए नियम 14 (1)]

क्रमांक	पद का नाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय और अंतिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
1	वास्तुक सहायक	मुख्य वास्तुक	(1) छोटी शास्तियां (i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर रखते हुए चेतावनी ; (ii) परिनिंदा . (iii) पदोन्नति रोकना (iv) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम तथा व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण	मुख्य वास्तुक	सरकार	सरकार
2	वरिष्ठ नक्शानवीस					
3	वरिष्ठ नक्शानवीस (इंटीरियर डैकोरेटर)					
4	वरिष्ठ नक्शानवीस (प्रतिमाकार) (माडलर)					
5	कनिष्ठ नक्शानवीस					
6	सहायक नक्शानवीस					
7	अनुरेखक					
8	फैरोमुद्रक					

1	2	3	4	5	6	7
			सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बंधी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली			
			(v) वेतन वृद्धियां रोकना			
			(2) बड़ी शास्तियां			
			(vi) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं;			

1	2	3	4	5	6	7
			(vii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान ग्रेड पद या सेवा पर, जिससे अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणत: रोक होगी; ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उसके बिना होगा ।			
			(viii) अनिवार्य सेवा निवृत्ति			
			(ix) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगा ।			
			(x) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यत: निरर्हता होगी ।			

परिशिष्ट "ब"

[देखिए नियम 14 (2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का नाम	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अंतिम अपील प्राधिकारी यदि कोई हो
1	वास्तुक सहायक				
2	वरिष्ठ नक्शानवीस				
3	वरिष्ठ नक्शानवीस (इंटीरियर डैकोरेटर)	(i) पैंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पैंशन की राशि में कमी करना या रोकना	मुख्य वास्तुक	सरकार	
4	वरिष्ठ नक्शानवीस (प्रतिमाकार)				
5	कनिष्ठ नक्शानवीस				
6	सहायक नक्शानवीस	(ii) अधिवर्षिता के लिये नियत आयु होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति ।			
7	अनुरेखक				
8	फैरोमुद्रक				

किरण अग्रवाल,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
वास्तुकला विभाग ।